कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/निप्र/डी–I/22709/मैन/प्र.वा./2013–20/408 दिनांक : 03/01/2020

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
   स्कूल शिक्षा।

2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
   पदेन जिला परियोजना समन्वयक
   समग्र शिक्षा अभियान।

3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।

4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं
   पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी
   समग्र शिक्षा अभियान।

विषयः– संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के संस्था प्रधानों हेतु पृथक्–पृथक् रूप से आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– शासन का पत्रांक : प.32 (1)शिक्षा–1/2000 पार्ट–4, जयपुर दिनांक : 14.11.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासकीय निर्देशों के कम में इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 24.07.2019 के द्वारा राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यालयों के पुनर्गठन उपरान्त एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना के परिदृश्य में समस्त स्तर के विद्यालयों (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक) के संस्था प्रधानों की शिविरा पंचांग में निर्धारित अवधि के दौरान सत्र में दो बार आयोज्य "संस्था प्रधान वाक्पीठ" का आयोजन संयुक्त रूप से ब्लॉक स्तर पर करवाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त निर्देशानुरूप सम्पूर्ण राज्य में दो दिवसीय "सत्रारम्भ संस्था प्रधान वाक्पीठ" का आयोजन माह जुलाई – अगस्त, 2019 में ब्लॉक स्तर पर प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के संस्था प्रधानों हेतु संयुक्त रूप से किया गया था।

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन सम्बन्धी मुद्दों तथा विषयों की प्रकृति में भिन्नता के कम में प्रासंगिक शासकीय निर्देशों के अनुसरण में निर्देशित किया जाता है कि आगामी समय में आयोजित होने वाली संस्था प्रधान प्रधान वाक्पीठ (सत्रारम्भ/सत्रान्त) का आयोजन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों हेतु ब्लॉक स्तर पर पृथक्–पृथक् रूप से किया जाना सुनिश्चित करावें।

उपर्युक्त निर्देशानुसार आगामी फरवरी– 2020 में आयोज्य "संस्था प्रधान वाक्पीठ" का आयोजन क्षेत्राधिकार में शिविरा पंचांग में निर्धारित समयावधि के दौरान किए जाने की सुनिश्चितता करावें।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग, राजस्थान, जयपुर।

6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
8. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
09. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा मंहाविद्यालय, जोधपुर।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर